

**U.P. STATE CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT CORPORATION LTD.**

H.No.-36 Surya Nagar, Near State Bank Colony, Delhi Road Saharanpur

(Erstwhile:-U.P.SAMAJ KALYAN NIRMAN NIGAM LTD)



(An ISO 9001 : 2008)

**TENDER DOCUMENT
(E.TENDERING SYSTEM)**

NIT NO: - 06/EE/SRE/E-TENDER/2026-27

DATE:- 06.05.2026

NAME OF WORK:- Construction of Mukhya Mantri Abhyudaya Composite School at
Sadholi Haria, Block Rampur Maniharan, District - Saharanpur

ESTIMATED COST OF WORK:- Rs. 88.56 Lac

EARNEST MONEY:- Rs. 1,78,000.00 **TENDER FEE:-** Rs. 3540.00 (With 18% GST)

STIPULATED TIME OF COMPLETION :- 18 Months.

**REGD OFFICE:-TC-46-V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,
LUCKNOW.**

Phone no. 0522-2305878


Name of Supplier/Firm

Address.

.....

.....


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी


विनोद कुमार कर्म
अधिसासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०
GSTIN - 09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 06/EE/SRE/E-TENDER/2026-27

DATE:- 06.05.2026

NAME OF WORK:- Construction of Mukhya Mantri Abhyudaya Composite School at Sadholi Haria, Block Rampur Maniharan, District - Saharanpur

ई-निविदा आमंत्रण सूचना


यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, की ओर से निम्नलिखित कार्य पर सुसंगत फर्मों से ई-निविदायें नीचे वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा की नियम एवं शर्तें तथा अन्य विवरण निम्नवत् है:-

U.P. STATE CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORP. LTD.		
Name of Work : Construction of Mukhya Mantri Abhyudaya Composite School at Sadholi Haria, Block Rampur Maniharan, District - Saharanpur		
Bill Of Quantity		
S.No.	Particulars	Amount
1	Construction of Mukhya Mantri Abhyudaya Composite School at Sadholi Haria, Block Rampur Maniharan, District - Saharanpur (Detail BOQ Attached)	8856003.00
Total		8856003.00
Percentage quote by Contractor (+/-)		
Net Amount		
GST Paid Extra as applicable		

नियम एवं शर्तें :-

- निविदादाता को यू०पी०सिडको से रजिस्टर्ड B & Above श्रेणी का प्रमाण पत्र निर्गत हो निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।
- निविदादाता को उक्त हेतु 80 प्रतिशत का एक या 60 प्रतिशत का दो एवं 40 प्रतिशत का 3 विगत 7 वर्षों में समान कार्य (Similar work) का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
- निविदादाता फर्म/ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का औसत टर्न ओवर निविदा की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिक होना चाहिए। इसके साक्ष्य के रूप में टर्न ओवर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा जो कि चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (CA) से (वैध UDIN No. सहित) प्रमाणित होना चाहिए।
- विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न/बैलेन्स शीट सी०ए० सर्टिफिकेट वर्षवार टर्नओवर (वैध UDIN No. सहित) निविदा के साथ अपलोड करना होगा। फर्म विगत दो वर्षों में लाभ की स्थिति में होनी चाहिए।
- तकनीकी बिड में अर्ह निविदादाता फर्मों की ही फाइनेंशियल बिड खोली जायेगी।
- निविदादाता को अपनी फर्म का वैध जी०एस०टी० नं०, पैन नं०, रजिस्टर्ड पी०एफ० नं०, लेबर पंजीकरण, चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र एवं अनुभव प्रमाण-पत्र की मोहर सहित स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करनी होगी।


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी


विनोद कुमार कर्म
अधिशासी अभियन्ता

7. निविदादाता को कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा, कार्य ना करने की दशा में धरोहर राशि (Earnest money) को जब्त कर लिया जायेगा।
8. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता, यूपीसिडको सहारनपुर को होगा।
9. निविदादाता को अंकित टेण्डर फीस/धरोहर धनराशि निगम के खुले **Bank Account No 499102010037028 IFS Code UBIN0549916, UNION BANK OF INDIA, New Avas Vikas Colony Saharanpur** में RTGS कराते हुये खातें में अन्तरित कराने की रसीद की छायाप्रति निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।
10. यदि निविदा प्रक्रिया में शामिल निविदादाताओं द्वारा मूल अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में काली सूची में डालने हेतु विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
11. निविदा से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों की स्व:हस्ताक्षरित मोहर सहित साफ्ट कॉपी पी0डी0एफ0 फाईल के द्वारा अपलोड करनी होगी।
12. कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 18 माह अथवा ग्राहक विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में प्रत्येक दशा में पूर्ण करना होगा।
13. सिविल कार्य हेतु निविदादाता द्वारा खनन सामग्रियों की रायल्टी भुगतान की रसीद (प्रपत्र एम0एम0 11 अथवा शासन द्वारा जारी अन्य विधिक प्रपत्र) बिल के साथ उपलब्ध करवानी होगी। विभाग द्वारा उक्त खनिज मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी की कटौती कर विभाग के खाते में संरक्षित कर ली जायेगी। तत्पश्चात ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का सत्यापन खनन विभाग की वेब साईट से कराये जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध/सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल से की गयी कटौती की धनराशि उसे वापस की दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के अवैध/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर काटी गयी रायल्टी की धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
14. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
15. निविदा खोलने की प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण की जायेगी।
 1. प्रथम— जमा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की पुष्टि की जायेगी तथा निविदादाताओं की तकनीकी बिड में अपलोड प्रपत्रों की निविदानुसार जाँच की जायेगी तथा सफल निविदादाताओं की सूची बनाते हुये प्राईस बिड खोलने हेतु संस्तुति की जायेगी।
 2. द्वितीय—तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की प्राईस बिड तय दिनांक एवं समय को खोली जायेगी तथा न्यूनतम दर निविदादाता को एल0ओ0आई उपर्युक्त वर्णित मूल प्रपत्र एवं उनकी प्रति/हस्ताक्षरित छायाप्रति इस कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जायेगा।
16. ठेकेदार के द्वारा दरें निविदा के साथ संलग्न प्राइस बिड पर ही कोट कर अपलोड करनी होगी, NIT में उल्लेखित आइटम स्कोप ऑफ वर्क में सम्मिलित है।
17. निविदादाता को समय से कार्य पूर्ण करने हेतु इकाई द्वारा दिये गये बार-चार्ट के अनुसार निर्माण कराना होगा।
18. निविदादाता को वर्तमान में चल रहे कार्यों का विवरण (Detail of Ongoing Work/Existing Work) संलग्न प्रारूप पर भरकर मोहर सहित प्रमाणित करते हुये अपलोड करना होगा।
19. निविदादाता को Litigation History (यदि कोई हो) संलग्न प्रारूप पर भरकर मोहर सहित प्रमाणित करते हुये अपलोड करना होगा।
20. सफल निविदादाता को निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में जमा कराना होगा। बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शैड्यूल

बैंक IDBI/HDFC/ICICI का ही मान्य होगा। परफारमेन्स गारण्टी हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन निविदादाता को करना होगा।


21. यदि सफल निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य से कम दरें उद्धरण की जाती हैं तो शासनादेश सं० 622/23/12-2012-2 Audit/08 T.C.-2 Dt. 08.06.2012 of UPPWD- Anubhag 12 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि FDR/DD किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शैड्यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI के रूप में जमा करानी होगी :-


(i) 0.50% per 1.00% below up to 10% of BOQ Cost.

(ii) 1.00% per 1.00% below, more than 10% of BOQ Cost.

26. निविदादाता द्वारा साइट निरीक्षण एवं दस्तावेजीकरण के सन्दर्भ में निम्न बिन्दुओं को भी संज्ञान में लिया जाना है:-

1. साइट निरीक्षण अनिवार्यता :- ठेकेदार अथवा ठेकेदार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि के पश्चात साइट का भली-भाँति निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।
 2. नाम पट्टिका का प्रदर्शन :- निरीक्षण के दौरान ठेकेदार अथवा ठेकेदार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं फर्म की नाम पट्टिका स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
 3. जी०पी०एस० आधारित फोटोग्राफी :- निरीक्षण के दौरान साइट की जी०पी०एस० लोकेशन सहित फोटोग्राफी करना अनिवार्य होगा। फोटोग्राफ में साइट का स्पष्ट दृश्य और कार्य स्थल का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।
 4. फोटोग्राफ का अपलोड करना :- निरीक्षण के उपरान्त ली गयी जी०पी०एस० फोटोग्राफ को निर्धारित पोर्टल/प्लेटफार्म पर अपलोड करना अनिवार्य होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साइट का निरीक्षण किया गया है।
 5. प्रमाण प्रस्तुत करना :- ठेकेदार को साइट निरीक्षण की पुष्टि हेतु जी०पी०एस० फोटोग्राफ और कार्य स्थल का विवरण तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना होगा।
 6. अनुपालन की पुष्टि :- निविदा प्राधिकारी निरीक्षण दस्तावेजों और फोटोग्राफ की पुष्टि करेगा, यदि निरीक्षण का पालन नहीं किया जाता है तो ठेकेदार की बिड अस्वीकार कर दी जायेगी।
- 27- सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी


अधिसासी अभियन्ता
यूपीसिडको,
सहारनपुर

निविदा की अन्य विशेष शर्तें

1. निविदा प्रपत्र बेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। निविदा डाउनलोड एवं अपलोड भी इसी बेब साईट से किया जायेगा। इच्छुक सप्लायर्स/टेकेदार नियमित रूप से उक्त बेबसाईट का संज्ञान लेते रहे, क्योंकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध में परिवर्तन अथवा अन्य सूचना बेबसाईट पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. निविदादाता को अंकित टेण्डर फीस/धरोहर धनराशि निगम के खुले **Bank Account No 499102010037028 IFS Code UBIN0549916, UNION BANK OF INDIA, New Avas Vikas Colony Saharanpur** में आर0टी0जी0एस0 कराते हुये खातें में अन्तरित कराने की रसीद की छायाप्रति निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।
3. निविदादाता द्वारा निर्माण स्थल पर एक सिविल इन्जीनियर पंजीकरण की शर्तों के अनुरूप रखना अनिवार्य होगा।
4. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से 18 माह तक मान्य होगी।
5. सक्षम अधिकारी को निविदा बिना कारण बतायें, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
6. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु रु0 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा की नियम व शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करना होगा व अनुबन्धित लागत की 5% (पाँच प्रतिशत) धनराशि हेतु डाफ्ट/एफ0डी0आर0 परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में जमा करना होगा। जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के 3 माह पश्चात अवमुक्त की जायेगी।
7. कार्य की मात्रा अनुबन्ध की मात्रा से आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है। किन्तु अधिक होने पर इन्जीनियर इन्चार्ज की अनुमति आवश्यक होगी।
8. निर्धारित समयावधि में यदि निविदादाता आपूर्ति/कार्य पूर्ण नहीं करता है, तो निगम निविदा में भागीदार किसी अन्य फर्म जिसने निविदा शर्तों का पालन किया हो, से निर्माण कराये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा, उक्त पर यदि अतिरिक्त व्यय का भुगतान किया जाना होगा तो उसे प्रथम निविदा दाता की जमानत धनराशि से किया जायेगा।
9. निविदा दाता को ई-प्रकाशन व अनुबन्ध में दी गयी सभी शर्तों का पालन करना होगा।
10. निविदा दाता के निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदा दाता सक्रिय भू-माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया आपूर्ति आदेश/कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा। इससे किसी भी क्षति की जिम्मेदारी निविदा दाता/फर्म की होगी।
11. फर्म को जारी कार्य आवंटन पत्र एवं अनुबन्ध के आधार पर सम्बन्धित कार्य के विषय में कार्यस्थल की भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व/अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
12. फर्म द्वारा कार्य का सम्पादन, निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों, विशिष्टियों एवं संरचना के आधार पर तथा निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा निगम के अभियन्ता/उच्चाधिकारियों को किसी भी समय पर कार्य का निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच किये जाने का पूरा अधिकार होगा।
13. फर्म द्वारा समस्त निर्माण कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं समय समय पर निगम द्वारा जारी किये गये निर्देशों के द्वारा अनुमोदित, विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायेंगे।
14. केन्द्रीय/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप कार्यस्थल पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री को प्रयोग में लाने का उत्तरदायित्व फर्म का होगा। निर्माण सामग्रियों के नमूनों को निगम के अधिकारियों से अनुमोदित कराने के पश्चात ही प्रयोग में लाया जायेगा। निगम द्वारा किसी निर्माण सामग्री या सम्पादित कार्य के नमूने का परीक्षण किसी चयनित संस्था/कार्यस्थल पर स्थापित लैब से कराये जाने की दशा में परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति फर्म के बिल से की जायेगी। किसी सामग्री



(मूलचन्द्र)

सहायक लेखाधिकारी



विनोद कुमार कर्दम
अधिशाली अभियन्ता

- के विशिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा टेस्ट में कोई सामग्री फेल होने की दशा में उक्त सामग्री को तत्काल अपने व्यय पर कार्यस्थल से हटाने, नयी सामग्री आदि की व्यवस्था करने का दायित्व फर्म का होगा। किये गये कार्य के फेल होने पर उसे तोड़कर पुनः करना होगा। यदि कोई कटौती होती है तो उसका भुगतान फर्म के बिल से ही किया जायेगा।
15. फर्म द्वारा उक्त निर्माण कार्यो को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसकी जांच टी0ए0सी0 अथवा अन्य किसी संस्था/विभागीय अधिकारी से कराये जाने के पश्चात कार्यो/सामग्री में यदि कोई कमी प्रकाश में आती है तो उसका निदान फर्म को अपने व्यय पर करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी। यदि उक्त जांच के फलस्वरूप निगम पर कोई आर्थिक दण्ड लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति फर्म के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी। फर्म के किसी कार्य से निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुचती है तो उस क्षति/हानि को वहन करने का दायित्व फर्म का होगा। जिसकी वसूली फर्म के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।
 16. फर्म द्वारा लेबर मद हेतु श्रम विभाग में पंजीकरण कराते हुए समस्त राजकीय/केन्द्रीय नियमों एवं कानूनों के अनुसार भुगतान, बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा, आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा इस प्रकार आने वाले समस्त व्यय को फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य पर लगायी जाने वाली मैन पावर/लेबर की मृत्यु, दुर्घटना तथा प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली क्षति के क्लेम हेतु आवश्यक/वांछित बीमा फर्म द्वारा कराया जायेगा एवं प्रमाण-पत्र निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। फर्म द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि उक्त बीमा कार्य प्रारम्भ होने से निर्मित भवन के हस्तान्तरित होने तक वैध रहेगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
 17. फर्म द्वारा समस्त सांविधिक अधिनियमों केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त श्रम अधिनियमों जैसे वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी ऐक्ट, वर्कमैन कम्पन्सेशन ऐक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मेटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट, कान्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन एण्ड एबॉलीशन ऐक्ट, फैंक्ट्री ऐक्ट, जी0एस0टी0 अथवा अन्य कोई संशोधित अधिनियमों एवं उनके प्राविधानों का विधिवत अनुपालन किया जायेगा तथा किसी अधिनियम के किसी प्राविधान का अनुपालन न होने की दशा में सम्बन्धित फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। उक्त के अतिरिक्त फर्म द्वारा कार्य पर लगायी गयी लेबर के प्रॉविडेन्ट फण्ड जमा करने के साक्ष्य स्वरूप चालान की प्रति भी भुगतान के पूर्व निगम को उपलब्ध करानी होगी अन्यथा बिल में लेबर चार्ज की धनराशि पर 25.61% की दर से प्रॉविडेन्ट फण्ड के मद में कटौती की जायेगी।
 18. यदि फर्म द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है या निम्न गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य निगम के स्थान पर किसी अन्य एजेन्सी को आवंटित करने का निर्णय लिया जाता है तो इस सम्बन्ध में अतिरिक्त लागत हेतु फर्म उत्तरदायी होगी तथा वह धनराशि/क्षति जो निगम को वहन करनी होगी, की प्रतिपूर्ति फर्म के अवशेष बिलों तथा जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।
 19. यदि निगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में आवंटित कार्य का अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाता है अथवा कोई विशेष शर्तें लागू की जाती है तो सम्बन्धित फर्म उनके अनुपालन हेतु बाध्य होंगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का क्लेम स्वीकार नहीं होगा।
 20. निर्माण कार्य के दौरान फर्म को होने वाली किसी प्रकार की क्षति के लिये निगम का कोई भी उत्तरदायित्व अथवा देनदारी नहीं होगी और इस प्रकार का कोई दावा न तो फर्म द्वारा किया जायेगा और न ही निगम द्वारा स्वीकार किया जायेगा।


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी


विनोद कुमार कर्म
अधिसासी अभियन्ता


21. सम्बन्धित फर्म द्वारा निगम के अधिकारियों को कार्य का सुपरविजन/निरीक्षण करने हेतु आवश्यक सहयोग/सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी, जिस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
22. निर्माणाधीन कार्य पर अग्नि, दुर्घटना, दंगो अथवा प्राकृतिक दैवीय प्रकोपों एवं चोरी आदि से जो भी क्षति होगी उसके लिये फर्म उत्तरदायी होगी एवं उक्त हेतु निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उक्त दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति के कार्य की सुनिश्चित लागत का बीमा फर्म द्वारा अपने व्यय पर कराया जायेगा तथा बीमा न कराये जाने की दशा में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति को फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।
23. निगम द्वारा फर्म को उपलब्ध करायी गयी बिल ऑफ क्वांटिटी में उल्लिखित मात्राओं से विचलन होने की औचित्यपूर्ण स्थिति में धनराशि प्राप्त/उपलब्ध होने के उपरान्त ही उक्त का भुगतान फर्म को किया जायेगा।
24. यदि किसी जॉच के द्वारा निगम के सक्षम अधिकारी के स्तर से कोई कटौती आदेश जारी किया जायेगा तो फर्म को किये जाने वाले भुगतान से समतुल्य धनराशि की कटौती की जायेगी।
25. निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने, बिल प्रस्तुत किये जाने, बिल पारित किये जाने, निर्माण कार्य के शेड्यूल आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया जो निगम द्वारा निर्धारित की जायेगी, का अनुपालन सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा।
26. किसी प्रकार के विवाद की दशा में निगम द्वारा नामित आर्बीट्रेटर द्वारा विवाद का निस्तारण किया जायेगा तथा आर्बीट्रेटर को देय मानदेय, शुल्क का वहन संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा। आर्बीट्रेटर का जो निर्णय निगम पर लागू होगा उसके अनुपालन हेतु फर्म पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
27. सभी खनिज सामग्री जैसे-मिट्टी, बालू, गिट्टी की रायल्टी की जमा का प्रपत्र भुगतान के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में भुगतान हेतु धनराशि में से शासकीय नियमों के अनुसार कटौती की जायेगी। मिट्टी की आपूर्ति हेतु जिला स्तर से आवश्यकतानुसार अनुमति फर्म को प्राप्त करनी होगी। सभी सामग्री की दरों में रायल्टी जुड़ी है अतः इसका अलग से कोई भुगतान नहीं होगा।
28. बिल ऑफ क्वांटिटी में विभिन्न मदों में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है तथा कार्य सम्पादन के समय किसी भी आइटम की मात्रा में किसी भी सीमा तक संशोधन हो सकता है या कोई कार्य नहीं भी सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया जा सकता है। इस कार्य के सम्पादन हेतु अतिरिक्त सामग्री एवं निर्माण कार्य जो कि बिल ऑफ क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं है, उनको भी सम्बन्धित फर्म के द्वारा कराया जायेगा व जिनका भुगतान लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों तथा इनमें उपलब्ध न होने की दशा में बाजार दरों पर दर विश्लेषण करते हुए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।
29. फर्म द्वारा निर्माण कार्य में आने वाली समस्त कमियों का निराकरण एवं अनुरक्षण एक सप्ताह के अन्दर कराया जायेगा अन्यथा उक्त कार्य को निगम द्वारा स्वयं सम्पादित कराकर आने वाले व्यय की वसूली फर्म की जमा सिक्वोरिटी धनराशि से कर ली जायेगी।
30. यदि कोई ऐसा कार्य/सामग्री आपूर्ति करायी जाती है जिसकी दर उपलब्ध करायी गयी BILL OF QUANTITY में नहीं है, ऐसे मदों का भुगतान दरों दिल्ली शेड्यूल आफ रेट वर्तमान में प्रभावी/स्वीकृत दर पर 5% कम करके किया जायेगा। दर उपलब्ध न होने पर वास्तविक बाजार दरों पर विश्लेषण करके किया जायेगा।
31. निर्धारित अवधि के अनुसार ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण न करने की दशा में अवशेष कार्य की लागत की 1% प्रति सप्ताह की दर से लागत की अधिकतम 10% की सीमा तक पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकती है।
32. कार्य पूर्ण होने के 7 दिन के अन्दर फर्म को अपना समस्त टी0 एण्ड पी0, शटरिंग आदि साइट से हटाना होगा व साइट को पूर्ण रूप से साथ सुथरा करना होगा। कार्य पूर्ण एवं इस्तान्तरण होने एवं

- शासन द्वारा अन्तिम किस्त की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही अन्तिम बिल का भुगतान किया जायेगा। साफ-सफाई हेतु अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
33. विद्युत कार्य का अनापत्ति प्रमाण-पत्र विद्युत सुरक्षा विभाग तथा फायर फाईटिंग कार्य का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग से लेने का उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा।
 34. विद्युत कार्यो को 'ए' क्लास लाइसेन्स होल्डर द्वारा या उनके पर्यवेक्षण में ही सम्पादित कराया जायेगा तथा लाइसेन्स की सत्यापित प्रति कार्य प्रारम्भ के पूर्व ही निगम को प्रस्तुत की जायेगी। मुख्य सचिव महोदय के स्तर से जारी शासनादेश संख्या-2990/84-4-2009-183 (एम)/2008 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। जो यह प्रमाण-पत्र देगा कि विद्युत कार्य मेरे पर्यवेक्षण में कराया गया है।
 35. बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने एवं निविदा की तिथि बढ़ाये जाने आदि का पूर्ण अधिकार निगम का होगा।
 36. निर्माण स्थल पर निर्माण व लेबर हेतु विद्युत व जल की व्यवस्था निविदादाता को अपने व्यय पर स्वयं वहन करना होगा, जिसका अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
 37. निविदादाता के द्वारा एल0ओ0आई0 निर्गत होने के पश्चात् कार्य को 18 माह अथवा अन्तिम किस्त की धनराशि प्राप्त होने के 30 दिनों में पूर्ण किया जाना होगा।
 38. निविदादाता को कार्य का भुगतान कार्य संतोषजनक पाये जाने पर किया जायेगा तथा प्रत्येक बिल से 5% की दर से जमानत धनराशि काटी जायेगी।
 39. निर्माण कार्य की बी0ओ0क्यू0 लागत से 5 प्रतिशत तक कम दरें निविदित करने पर डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड 12 माह होगा एवं बी0ओ0क्यू0 लागत से 5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत से कम दरें निविदित करने पर डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड 18 माह तथा बी0ओ0क्यू0 लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम दरें निविदित करने पर डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड 24 माह होगा।
 40. ठेकेदार के प्रत्येक रनिंग बिल से कार्यवार 5 प्रतिशत की जमानती धनराशि काटी जायेगी जिसे निर्माण कार्य ग्राहक विभाग को हस्तांतरित होने के माह पश्चात (जिसे डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड कहा जायेगा), अवमुक्त किया जायेगा। डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि में कार्य में किसी भी प्रकार की कमी आने पर उसका निराकरण ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में आने वाली समस्त कमियों का निराकरण एवं अनुरक्षण एक सप्ताह के अन्दर कराया जायेगा अन्यथा उक्त कार्य को निगम द्वारा स्वयं सम्पादित कराकर आने वाले व्यय की वसूली ठेकेदार की जमा सिक्वोरिटी धनराशि से कर ली जायेगी।
 41. सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
 42. निविदा में अनावश्यक रूप से संलग्न प्रपत्रों को पत्रावली में संकलित नहीं किया जायेगा।
 43. निविदादाता को दी गयी दरों पर ही कार्य करना होगा, यदि लेबर की दरें किसी प्रकार बढ़ जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सरकार द्वारा टैक्स में कोई परिवर्तन होने पर भुगतान निगम द्वारा तदानुसार किया जायेगा।
 44. बिलो से आयकर/अन्य किसी प्रकार के कर जो नियमानुसार लागू हो, की कटौती की जायेगी तथा विभाग द्वारा ही जमा किया जायेगा।
 45. निविदादाता को भुगतान धन की उपलब्धता पर किया जायेगा, अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
 46. जी0एस0टी0 भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
 47. निविदादाता के द्वारा निविदा के अन्तर्गत अनिवार्य प्रपत्र आनलाईन अपलोड किये जायेंगे। उन प्रपत्रों की हार्ड कापी, मांगे जाने पर उपलब्ध करानी होगी।
 48. अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी


विनोद कुमार कर्म
अधिकासी अभियन्ता

49. ठेकेदार द्वारा यदि निर्माण कार्य को उचित कार्य कुशलता के साथ न करने पर, घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग करने पर तथा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने पर कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति प्रभावित होती है तो निगम मुख्यालय के आदेश सं० 4321/7-5(4)/ई-निविदा/सामान्य आदेश/2025-26 दिनांक 24.09.2025 के अनुसार कार्यवाही करते हुये डिबार/ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही की जायेगी।
50. निविदादाताओं को चाहिये कि वह निविदा की शर्तों को ध्यान से पढ़ते हुये कार्यस्थल की समस्त जानकारी लेकर अपनी दरों को दे क्योंकि निविदा अवधि में दी गयी दरों को बढ़ाना सम्भव नहीं होगा।
51. कोबा ट्रीटमेन्ट कार्य के मद में रोकੀ गयी की सिक्योरिटी भवन हस्तांतरण के 10 वर्ष पश्चात् अवमुक्त किया जायेगा।
52. सफल निविदादाता को निविदा मूल्य का 5% परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में जमा कराना होगा। जो बैंक गारण्टी/एफ०डी०आर०/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शैड्यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI का ही मान्य होगा।
53. निविदादाता द्वारा कार्यस्थल का स्वयं या अपने नियुक्त अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण कराते हुये कार्यस्थल की पुष्टि हेतु जी०पी०एस० फोटोग्राफ अपनी फर्म के लेटर पैड पर संलग्न कर निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
54. कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा निगम के अधिकारी/कर्मचारियों के बैठने एवं कार्य सम्पादन करने हेतु कार्यालय की उचित व्यवस्था भी अपने व्यय पर करनी होगी।
55. निविदादाता निविदा में प्रतिभाग करने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा वैद्य सत्यापित UDIN एवं मोहर सहित एवं फर्म की मोहर सहित स्वयं घोषित बिड कैपेसिटी प्रमाण पत्र (A-1 & A-2) निर्धारित प्रारूप पर तैयार करवाते हुये निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
56. यदि सफल निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य से कम दरें उद्धरण की जाती है तो शासनादेश सं० 622/23/12-2012-2 Audit/08 T.C.-2 Dt. 08.06.2012 of UPPWD- Anubhag 12 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि एफ०डी०आर०/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शैड्यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI के रूप में जमा करानी होगी :-
- (i) 0.50% per 1.00% below up to 10% below of BOQ.
- (ii) 1.00% per 1.00% below, above 10% below of BOQ.


अधिसासी अभियन्ता
यूपीसिडको
सहारनपुर

मैंने उपरोक्त शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा इस आधार पर मैं कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०
H.No.-36 Surya Nagar, Near State Bank Colony, Delhi Road Saharanpur

GSTIN - 09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 06/EE/SRE/E-TENDER/2026-27

DATE:- 06.05.2026

NAME OF WORK:- Construction of Mukhya Mantri Abhyudaya Composite School at Sadholi Haria, Block Rampur Maniharan, District - Saharanpur


Place of Receiving Tender:- Electronically via web site <http://etender.up.nic.in> from Office of the Executive Engineer, H.No.-36 Surya Nagar, Near State Bank Colony, Delhi Road Saharanpur

Estimated Cost of Work	:-	Rs. 88.56 lac
Cost of Tender Set	:-	Rs. 3000.00 + 18% GST= Rs. 3540.00
Earnest Money	:-	Rs. 1,78,000.00
Stipulated time of completion	:-	18 Months.
Validity of Rates	:-	18 Months from the date of AOC.

Note:- Validity of rates remain same up to 18 Months from the AOC date. Qty can be increased or decreased.

SIGNATURE OF SUPPLIER


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी


विनोद कुमार कर्दम
अधिशासी अभियन्ता

LITIGATION HISTORY

(ON THE LETTER HEAD OF APPLICANT)

S.No.	Name of Work	Client	Type of case (Courtcase/Arbitration case)	Date of registering of case	Name & Address of Court/Arbitrator	Amount involved	Present Status	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9


Signature of Applicant

With seal

Note:

Applicant has to submit the details of last 5 years in respect of Court cases /Arbitration cases.


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी



विनोद कुमार कर्दम
अधिसासी अभियन्ता

DETAILS OF ON-GOING/EXISTING WORKS

S. No.	Description of the Work with Contract No.	Name and address of the Employer	Date of		Value of work (In Rs. lacs)		Built up area		Anticipated date of completion of work	Any other relevant information
			Award	Stipulated Completion	as per order	Completed so far	Total	Executed as on date		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

Note:- The copies of certificates of ongoing/awarded works issued by the owner shall be attached. Only those works shall be considered for evaluation for which copies of the certificates issued by the owner are attached.


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी


विनोद कुमार कर्दम
अभिषेक अधिकारी

FROM A-1

(on Rs. 100.00- Non Judicial Stamp papers)

FORM FOR BIDDER'S BIDDING CAPACITY

(On or after the date of publication of tender)

Name of the Firm/Bidder :

Name of Work :- Construction of

.....

1. The Bidding Capacity of the bidder should be equal to or more than the estimated cost of the work put to tender. The bidding capacity shall be worked out by the following formula :

$$\text{Bidding Capacity (Rs.)} = \{[A \times N \times 2.5] - B\}$$

Where,

A = Maximum turnover in construction works executed in any one year during the last five years taking into account the completed as well as works in progress. The value of completed works shall be brought to current costing level by enhancing at a simple rate of 7% per annum.

N = Number of years prescribed for completion of work for which bid has been invited.

B = Value of existing commitments and ongoing works to be completed during the period of completion of work for which bid has been invited (Value of B worked out from "Form A2").

Signature of Chartered Accountant with Seal

Seal & Signature of Bidder


 (मूलचन्द्र)
 सहायक लेखाधिकारी


 विनोद कुमार कर्दम
 अधिशासी अभियन्ता

Project Under Execution

S.No.	Details	
1.	Name of work/project & location	
2.	Owner or sponsoring organization	
3.	Cost of work in Rs. (In Lacks)	
4.	Date of commencement as per contract	
5.	Stipulated date of completion	
6.	Upto Date % Financial Progress	
7.	Value of Balance Commitment to complete work till period for which bid invited (Lacks)	
8.	Slow progress if any and reasons thereof	
9.	Name & Address (Postal & E-mail)/telephone number of officer (Executive Engineer/Project Manager) to whom reference may be made	
10.	Remarks	


It is to undertake that above is the total list of works under progress in any department and information furnished is true and nothing has been hiding. Further that, if such a violation comes for hiding information or incorrect information to the notice of Department, then we shall be debarred for bidding in UPSCIDCO in future forever.

Note :

1. In Row no 6 above, only the percentage of financial progress shall be mentioned. In substantiation of financial progress, the bidder shall submit the statement of up to date payment made against each work, obtained from the Executive/Project Manager in charge of the work or by the chartered accountant.


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी

SIGNATURE (S) OF BIDDER (S) (WITH STAMP)


विनोद कुमार कर्दम
अधिसासी अभियन्ता

List of Aproved Makes of Material for Building Civil Works


S.N. _ Details of Materials/Equipment _ Manufacture'S Name

- | | |
|---|--|
| 1. Vitreous China Sanitary Ware | : Hindware/Parryware/Cera/Somany. |
| 2. CP Fitting | : Hindware/Plumber/Somany. |
| 3. G.M. Gate Valve/Forged Brass Ball (ISI) | : NMC/Leader/Equivalent Make. |
| 4. Paint 1 st Quality | : Asian/ Berger/Nerolac |
| 5. G.I. Pipe | : Jindal/Tata/QST/ TT Swastic |
| 6. G.I. Pipe Fitting | : Unik/New make/NMC/KMC |
| 7. China Ware Fitting White Colour | : Hindware/Somany/Cera Make |
| 8. C.P.V.C. Pipe & Fitting | : Supreme / Prakash/Kisan Make |
| 9. Granite Stone 20mm +/- 2mm | : Rosy Pink/ Sadar Ali Grey/Black |
| 10. M.S. Window & Ventilator | : Z Section window made of 1.6mm thick approved hollow Tubular section. |
| 11. Door Chaukhat | : Angle Iron frame/of 40x40x5 mm/ 40x40x6mm ISI |
| 12. Flush Door Shutter | : Commercial Flush Door Shutter 35mm thick |
| 13. Glass pan 4mm thick in Window | : Modi /Saint /Gobain |
| 14. Cement | : As per CPWD Norms (OPC 43 Grade) |
| 15. T.M.T. Steel Fe 500 | : As per Government of INDIA notification regarding primary and secondary manufactures |
| 16. China Glazed wall/floor & Vetrified tiles | : Kajaria/Somani/Orient |
| 17. Truss / MS Work (B Class) | : As per CPWD Norms |

NOTE :-

1. उपरोक्त ब्रान्ड /मेक प्रयोग कार्य करने से पूर्व ई0आई0सी0 से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।


 (मूलचन्द्र)
 सहायक लेखाधिकारी


 विनोद कुमार कर्दम
 अधिशासी अभियन्ता

LIST OF APPROVED MAKES OF ELECTRICAL ACCESSORIES

1. M.S. Conduit (Steel)	: AKG/BEC/ /NIC I.S.I. Marked
2. P.V.C. Conduit	: BEC/AKG/ Bajaj/ Seiko I.S.I. Marked
3. Flexible Conduit	: Hensel / Legrand /Trinity touch / Lapp (ISI marked)
4. Backelite Sheet	: Hylam /Formica
5. 1.1 KV PVC insulated copper wire	: Finolex / Polycab /Skyline / National / Rallison ISI Marked
6. 1.1 KV PVC/XLPE Armoured Cable	: Skytone/Rallison/Gloster/National Havells / Polycab / I.S.I marked
7. Telephone Cable	: Skyline / National / Finolex /Rallison /Polycab
8. TV Coaxial Cable	: Skyline/ National /Filolex /Rallison/ Polycab
9. Cable Gland	: Gripwell / Comet
10. Thimbles	: Dowell's / Asian
11. Cable Tray	: Legrand / Modern / Venus / Slotoo / Pilco/Beeco
12. Modular type switches and socket of all ratings	: North West /Clipsal
13. Panel	: L & T / Siemen's /Schneider Make Manufactured by CPRI approved manufacturer.
14. MCCB	: L & T / Siemen's / M.D.S. – Legrand / Schneider electric/Indo Asian
15. MCB distribution board	: L&T Hager / Legrand (MDS) / Indo Asian/ Havells.
16. MCB, Isolator, RCCB, ELCB (of all ratings)	: L&T Hager / Legrand (MDS) / Indo Asian/ Havells.
17. Metal clad sheet steel enclosure socket/plug box.	: L&T Hager / Legrand (MDS) / Indo Asian/ Havells.
18. Current transformers & potential transformers gear	: AE/ Kappa/Control & Switch
19. Meters (Instruments)	: L&T (Rishab), Automatic electric/ Enercon / Trinity Schneider, Secure, Conserve.
20. Indication lamps	: Vaishno/L&T
21. Tag Block	: Krone or Krone type wire less as per specification (I.S.I.)
22. Ceiling Fans	: Crompton /Usha / Bajaj ISI Marked
23. Wall mounted (Bracket) Fans	: Crompton /Usha / Bajaj ISI Marked
24. Exhaust/Axial Flow/Ventilation Fan	: Crompton /Usha / Bajaj ISI Marked
25. Light Fixtures / Fittings and lamps	: Philips / Crompton / Bajaj
26. Paint / Primer	: Berger / Asian
27. Wall Bracket Light	: Decon
28. D.G. Set	: Kirloskar/ Cummins

Note :

- Above makes and accessories are approved subject to their meeting the tender specifications & requirements. Contractor however shall seek approval of specific make from the Engineer-in-charge before commencement of work. The final choice of make to be used in the work will rest with Engineer-in-charge/Arch. and the decision of the Engineer-in-charge shall be final & binding on the contractor.
- For any item not covered in the above list, the contractor shall get the make & sample approved from the engineer-in-charge before procurement. The final choice of make to be used in the work will rest with Engineer-in-charge /Arch. and the decision of the engineer-in-charge shall be final & binding on the contractor in this respect.
- The samples of the material shall in either get tested and have to be got approved from the engineer-in-charge.
- Material where no make/brand has been mentioned, in this case ISI marked samples shall be submitted by the contractor for approval of engineer-in-charge.
- For that class of materials, where no firm exists with ISI approval, samples of first quality material of the firm shall be submitted for the approval of Engineer-in-charge.

Contractor will be responsible to ensure the quality of products listed in approved list of makes/brands. Contractor will have to replace the defective and substandard materials at his own cost.

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, लखनऊ (जिन्हें आगे ग्राहक विभाग कहा गया है) द्वारा यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 (जिन्हें आगे निगम कहा गया है) को प्राप्त ----- का कार्य जिसकी स्वीकृत लागत रू0 लाख है, के कार्य हेतु निगम एवं M/s ----- (जिन्हें आगे ठेकेदार कहा गया है) के मध्य दिनांक को निष्पादित किया जा रहा है। दोनों पक्षों के मध्य सम्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तें एवं दशायें निम्नवत् है :-

1. ठेकेदार द्वारा दी गई निविदित दरों के आधार पर कार्यों की बिल ऑफ क्वान्टिटी की निविदित धनराशि रू0 ----- लाख है। निगम पत्रांक----- दिनांक द्वारा ठेकेदार को कार्य आबंटन पत्र (एल0ओ0आई0) जारी किया गया है जिसके अनुसार 10 दिन के अन्दर अनुबन्ध कराते हुए कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि, एल0ओ0आई0 जारी करने की तिथि से 10 दिन के बाद की तिथि से माह होगी।
2. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित विभिन्न विभागों (Regulating Authority) यथा (पुरातत्व/विकास प्राधिकरण आदि) से आवश्यकतानुसार क्लीयरेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु उक्त मद में ठेकेदार द्वारा व्यय की गयी धनराशि का भुगतान ग्राहक विभाग से प्राप्त धन से ठेकेदार द्वारा कार्य का वास्तविक बिल प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा किया जायेगा।
3. ठेकेदार को जारी कार्य आबंटन पत्र एवं अनुबन्ध, निगम को आबंटित कार्य के विषय में ठेकेदार को ग्राहक विभाग के साथ किसी प्रकार के सीधे औपचारिक पत्र व्यवहार के लिये अधिकृत नहीं करता है। अनुबन्ध के कारण ठेकेदार का कार्य एवं कार्य की भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व/अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
4. ठेकेदार द्वारा कार्य का सम्पादन, निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों, विशिष्टियों एवं संरचना के आधार पर तथा निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा निगम के अभियन्ता/उच्चाधिकारियों को किसी भी समय पर कार्य का निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच किये जाने का पूरा अधिकार होगा।
5. लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप कार्यस्थल पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री को प्रयोग में लाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। निर्माण सामग्रियों के नमूनों को ग्राहक विभाग/निगम द्वारा अनुमोदित कराने के पश्चात् ही प्रयोग में लाया जायेगा। ग्राहक विभाग/निगम द्वारा किसी निर्माण सामग्री या सम्पादित कार्य के नमूने का परीक्षण किसी चयनित संस्था/कार्यस्थल पर स्थापित लैब से कराये जाने की दशा में परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से की जायेगी। किसी सामग्री के विशिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा टेस्ट में कोई सामग्री फेल होने की दशा में उक्त सामग्री को तत्काल अपने व्यय पर कार्यस्थल से हटाने, नयी सामग्री आदि की व्यवस्था करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
6. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री वांछित मानकों के अनुरूप होनी चाहिये। सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा टेस्ट अपने व्यय पर कराते हुए सर्टिफिकेट/वांछित अभिलेख निर्धारित मानक आवृत्ति के अनुसार निगम के उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रमाण हेतु समय-समय पर प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री वांछित मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो उसको अस्वीकार करने तथा उसका निर्माण कार्य पर उपयोग रोके जाने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
7. निर्माण कार्य से सम्बन्धित अस्थायी जल एवं विद्युत की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी तथा कार्यस्थल तक निर्माण सामग्री पहुँचाने हेतु आवश्यकतानुसार पहुँच मार्ग ठेकेदार द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा। उक्त मद में निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।




(मूलचन्द्र)

सहायक लेखाधिकारी



विनोद कुमार कर्म
अधिशासी अभियन्ता

8. ठेकेदार द्वारा निगम के प्रयोग हेतु कार्यस्थल पर अनुमोदित ड्राइंग के अनुरूप कार्यालय, विद्युत एवं जलापूर्ति, फर्नीचर की व्यवस्था सहित उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राहक विभाग द्वारा इस मद में निगम को प्रतिपूर्ति किये जाने की दशा में उक्त सीमा तक ठेकेदार को भी इस मद में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
9. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उसकी जांच टी0ए0सी0 अथवा अन्य किसी संस्था/विभागीय अधिकारी से कराये जाने के पश्चात् कार्यों में यदि कोई कमी प्रकाश में आती है तो उसका निदान ठेकेदार को अपने व्यय पर करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी। यदि उक्त जांच के फलस्वरूप ग्राहक विभाग/निगम पर कोई आर्थिक दण्ड लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी। ठेकेदार के किसी कार्य से ग्राहक विभाग/निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुंचती है तो उस क्षति/हानि को वहन करने का दायित्व ठेकेदार का होगा, जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।
10. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य/भवन में प्रयोग किये गये उपकरणों की गारण्टी /वारण्टी प्रपत्र एवं विशिष्टियों के पूर्ण विवरण निगम को भविष्य के सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराया जाना ठेकेदार की बाध्यता होगी।
11. परियोजनाओं पर निर्माण कार्य एवं प्रयुक्त निर्माण सामग्री की टेस्टिंग तथा कार्य का T.P.Q.A. भी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से नियमानुसार ठेकेदार के व्यय पर करायी जायेगी।
12. निर्माण स्थल पर रूफ ट्रीटमेन्ट/एन्टी टर्मामाइट का कार्य पूर्ण होने पर रू0 100.00 के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर भुगतान के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
13. ठेकेदार द्वारा लेबर मद में समस्त राजकीय/केन्द्रीय नियमों एवं कानूनों के अनुसार भुगतान, बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा, आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा इस प्रकार आने वाले समस्त व्यय को ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य पर लगायी जाने वाली मैन पावर/लेबर की मृत्यु, दुर्घटना तथा प्राकृति आपदा अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली क्षति के क्लेम हेतु आवश्यक/वांछित बीमा ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा एवं प्रमाण-पत्र निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि उक्त बीमा कार्य प्रारम्भ होने से निर्मित भवन के हस्तान्तरित होने तक वैध रहेगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। ठेकेदार द्वारा लेबर सेस से सम्बन्धित प्राविधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जाएगा।
14. ठेकेदार द्वारा समस्त सांविधिक अधिनियमों केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त श्रम अधिनियमों जैसे वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, एम्पलॉयर्स लायबिलिटी ऐक्ट, वर्कमैन कम्पन्सेशन ऐक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मेटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट, कान्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड एबॉलीशन ऐक्ट, फैंक्ट्री ऐक्ट, वैट तथा सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई संशोधित अधिनियमों एवं उनके प्राविधानों का विधिवत अनुपालन किया जायेगा तथा सम्बन्धित श्रमिकों का नियमानुसार पंजीकरण कराया जाएगा तथा किसी अधिनियम के किसी प्राविधान का अनुपालन न होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त राजकीय एवं केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगायी गयी लेबर एवं स्टाफ के प्रॉविडेन्ट फण्ड के सम्बन्ध में निगम के कार्यालय आदेश संख्या-2372 दिनांक 24 जून, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. विद्युत कार्यों को सम्पादित कराने हेतु निविदादाता के पास विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत अनुमोदित विद्युत सुरक्षा ए0 क्लास लाइसेंस होना अनिवार्य हैं एवं उसको निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
16. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल को साफ-सुथरा रखा जायेगा।


(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी


विनोद कुमार कर्म
अधिकासी अभियन्ता

17. यदि ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है या निम्न गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्राहक विभाग द्वारा निर्माण कार्य निगम के स्थान पर किसी अन्य एजेन्सी को आवंटित करने का निर्णय ले लिया जाता है तो इस सम्बन्ध में अतिरिक्त लागत हेतु यदि निगम, ग्राहक विभाग के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी होगा तो वह धनराशि/क्षति जो निगम को वहन करनी होगी, की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के अवशेष बिलों तथा जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।
18. ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्यों को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई कमी प्रकाश में आती है और उससे निगम को कोई आर्थिक हानि होती है अथवा ठेकेदार के किसी कार्य से निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुंचती है तो उस क्षति/हानि की प्रतिपूर्ति के लिये ठेकेदार पर उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ठेकेदार पर पेनाल्टी/कटौती अथवा अन्य किसी मद में डेबिट की जाने वाली ऐसी धनराशि जिसकी वसूली उसके बिलो, सिक्योरिटी अथवा अन्य किसी रूप में सम्भव न होने की स्थिति में, उक्त धनराशि ठेकेदार पर निगम को देय ऋण के रूप में मानी जायेगी, जिसकी वसूली निगम द्वारा लोकधन देयों की वसूली अधिनियम 1972 यू0 पी0 पब्लिक मनी रिकवरी ऑफ ड्यूज (एक्ट1972) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ठेकेदार से की जायेगी।
19. यदि ग्राहक विभाग द्वारा निगम को आबंटित कार्य का अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाता है अथवा कोई विशेष शर्तें लागू की जाती हैं तो यह समस्त शर्तें एवं दशायें सम्बन्धित ठेकेदार पर भी बाध्य/लागू होंगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का क्लेम स्वीकार नहीं होगा।
20. निर्धारित अवधि के अनुसार ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण न करने की दशा में अवशेष कार्य की लागत की 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकती है।
21. निर्माण कार्य की बी0ओ0क्यू0 लागत से 5 प्रतिशत तक कम दरें निविदित करने पर डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड 12 माह होगा एवं बी0ओ0क्यू0 लागत से 5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत से कम दरें निविदित करने पर डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड 18 माह तथा बी0ओ0क्यू0 लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम दरें निविदित करने पर डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड 24 माह होगा।
22. ठेकेदार के प्रत्येक रनिंग बिल से कार्यवार 5 प्रतिशत की जमानती धनराशि काटी जायेगी जिसे निर्माण कार्य ग्राहक विभाग को हस्तांतरित होने के माह (जिसे डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड कहा जायेगा), पश्चात अवमुक्त किया जायेगा। डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि में कार्य में किसी भी प्रकार की कमी आने पर उसका निराकरण ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में आने वाली समस्त कमियों का निराकरण एवं अनुरक्षण एक सप्ताह के अन्दर कराया जायेगा अन्यथा उक्त कार्य को निगम द्वारा स्वयं सम्पादित कराकर आने वाले व्यय की वसूली ठेकेदार की जमा सिक्योरिटी धनराशि से कर ली जायेगी।
23. निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार को होने वाले किसी प्रकार की क्षति के लिये निगम का कोई भी उत्तरदायित्व अथवा देनदारी नहीं होगी और इस प्रकार का कोई दावा न तो ठेकेदार द्वारा किया जायेगा और न ही निगम द्वारा स्वीकार किया जायेगा।
24. यदि कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिक द्वारा भुगतान प्राप्त न होने की शिकायत की जाती है तथा निगम द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में भी ठेकेदार द्वारा लेबर का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस दशा में निगम द्वारा श्रमिकों का भुगतान करते हुये उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से कर ली जायेगी।
25. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ग्राहक विभाग के अधिकारियों को कार्य का सुपरविजन/निरीक्षण करने हेतु आवश्यक सहयोग/सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी, जिस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

26. निर्माणाधीन कार्य पर अग्नि, दुर्घटना, दंगो, सिविल कोमोशन और/अथवा प्राकृतिक दैवीय प्रकोपों एवं चोरी आदि से जो भी क्षति होगी उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा एवं उक्त हेतु निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उक्त दुर्घटना/घटनाओं से होने वाली क्षति के कार्य की सुनिश्चित लागत का बीमा ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर कराया जायेगा तथा बीमा न कराये जाने की दशा में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति को ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा।
27. विस्तृत आगणन/बिल आफ क्वांटिटी में विभिन्न मदों में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है तथा कार्य सम्पादन के समय किसी भी आइटम की मात्रा में किसी भी सीमा तक संशोधन हो सकता है या कोई कार्य नहीं भी सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।
28. निगम द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध करायी गयी बिल आफ क्वांटिटी में उल्लिखित मात्राओं से विचलन होने की स्थिति में निगम मुख्यालय/ग्राहक विभाग से अनुमोदन एवं धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त का भुगतान ठेकेदार को किया जायेगा।
29. कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार द्वारा निगम को पूर्ण कार्य का अन्तिम बिल निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अन्य वांछित सूचनाओं/विवरण के साथ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
30. यदि ग्राहक विभाग द्वारा निगम के बिल से रिटेन्शनमनी/अन्य कोई कटौतियां की जायेगी तो ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से समतुल्य धनराशि की कटौती की जायेगी।
31. कार्य स्थल पर निविदित बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की विशिष्टियों में परिवर्तन कदापि न किया जाये। अपरिहार्य परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी (यथा ग्राहक विभाग, तकनीकी स्वीकृति प्रदाता अधिकारी इत्यादि) से अनुमोदन प्राप्त करते हुए ही विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाये, परन्तु उक्त के फलस्वरूप कार्य लागत अतिरेक से प्रभावित न हो।
32. अतिरिक्त आइटम के भुगतान हेतु तकनीकी स्वीकृति में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की शैड्यूल की प्रभावी दरों में अंकित आइटम के अनुरूप दरों पर एल0ओ0आई0 की शर्तों के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, यदि उक्त आइटम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की शैड्यूल की दरों में उपलब्ध न होने की दशा में दरें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (डी0एस0आर0 का वर्ष, तकनीकी स्वीकृति में प्रयुक्त प्रभावी वर्ष की दरों के अनुसार) की दरें प्रयोग की जायेगी। दोनों शैड्यूल में दरें न होने की दशा में न्यूनतम बाजार दरों पर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
33. निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने, बिल प्रस्तुत किये जाने, बिल पारित किये जाने, निर्माण कार्य के शैड्यूल आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया जो निगम/ग्राहक विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
34. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को निर्धारित माईल स्टोन के अनुरूप कराया जाना होगा। यदि कार्य की प्रगति निर्धारित माईल स्टोन के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो निगम को माईल स्टोन न प्राप्त करने के सापेक्ष धनराशि रोकने/कार्य का अनुबन्ध आंशिक अथवा पूर्ण रूपसे निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसा किये जाने की दशा में ठेकेदार द्वारा सात दिनों के अन्दर कार्यस्थल से अपनी लेबर तथा अनुप्रयुक्त सामग्री को अपने व्यय पर हटाना होगा अन्यथा निगम द्वारा कार्यस्थल पर कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
35. ठेकेदार द्वारा निगम से अनुमोदित अथवा एस0ओ0आर0 में प्रदर्शित ब्राण्ड/मेक की उच्च गुणवत्ता युक्त असली निर्माण सामग्री निर्माता अथवा उसके अधिकृत वितरक से क्रय करके प्रयोग करनी होगी तथा सामग्री की पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।
36. परियोजना पूर्ण होने के पश्चात भवन हस्तान्तरण तक ठेकेदार को निर्मित भवन एवं परिसर की अपने व्यय पर सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी तथा भवन हस्तान्तरण के समय यदि कोई कमी पायी जाती है तो उसे ठेकेदार द्वारा/ठेकेदार के व्यय पर पूर्ण करना होगा।
37. निगम एवं ठेकेदार के मध्य किसी प्रकार के विवाद की दशा में प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।



(मूलचन्द्र)

सहायक लेखाधिकारी


विनोद कुमार कर्म
अधिसासी अभियन्ता

38. ग्राहक विभाग से किसी प्रकार के विवाद की दशा में ग्राहक विभाग द्वारा नामित आर्बीट्रेटर द्वारा विवाद का निस्तारण किया जायेगा तथा आर्बीट्रेटर को देय मानदेय, शुल्क का वहन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। आर्बीट्रेटर का जो निर्णय निगम पर लागू होगा उसके अनुपालन हेतु ठेकेदार पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
39. यदि ग्राहक विभाग से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है एवं उक्त के फलस्वरूप ग्राहक विभाग अथवा अन्य को कोई धनराशि देय होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा निगम को करनी होगी।
40. ठेकेदार द्वारा यदि निर्माण कार्य को उचित कार्य कुशलता के साथ न करने पर, घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग करने पर तथा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने पर कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति प्रभावित होती है तो निगम मुख्यालय के आदेश सं0 4231/7-5(4)/ई-निविदा/सामान्य आदेश/2025-26 दिनांक 24.09.2025 के अनुसार कार्यवाही करते हुये डिबार/ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही की जायेगी।
41. ठेकेदार द्वारा निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास निविदा अस्वीकृति एवं ठेकेदार के डिबार/ब्लैकलिस्ट होने का कारण बनेगा।
42. ठेकेदार को कार्यदेश जारी होने की तिथि के 7 दिनों के अन्दर अनुबन्ध कराते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि माह में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध की शर्त संख्या-20 के अनुसार ठेकेदार पर कार्यवाही की जायेगी।
43. यदि ग्राहक विभाग एवं निगम के मध्य निष्पादित अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है अथवा ग्राहक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश दिये जाते हैं तो उक्त अनुबन्ध/निर्देश अनुबन्ध के पार्ट होंगे तथा इस अनुबन्ध के साथ पढ़े जायेंगे।
44. कार्य की अनुमोदित निविदा के समस्त टेण्डर डॉक्यूमेंट, एन0आई0टी0, जनरल कंडीशन ऑफ कांट्रैक्ट, विशिष्टियां, बी0ओ0क्यू0, ड्राइंग/प्लान, कार्य पूर्ण करने का शिड्यूल, लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस इस अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
45. कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा निगम के अधिकारी/कर्मचारियों के बैठने एवं कार्य सम्पादन करने हेतु कार्यालय की उचित व्यवस्था भी अपने व्यय पर करनी होगी।
46. न्यायालय संबंधी किसी भी प्रकार के वाद का क्षेत्राधिकार सहारनपुर होगा।

ठेकेदार की ओर से

निगम की ओर से

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

साक्षी :

साक्षी :



(मूलचन्द्र)

सहायक लेखाधिकारी



विनोद कुमार कर्म
अधिकासी अभियन्ता